



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS ORGANISATION
संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार)
COMPOSITE CLAIM FORM (AADHAR)

(जब मामलों में, जहाँ फॉर्म-11 (न्यू) में संचालन की पूर्ण जानकारी, जैसे आधार नंबर एवं बैंक खाता विवरण नू.ए.एन. पोर्टल पर उपलब्ध है एवं नू.ए.एन. एक्टिवेट हो चुका है)
(APPLICABLE IN CASES WHERE EMPLOYEES' COMPLETE DETAILS IN FORM-11 (NEW), AADHAR NUMBER AND BANK ACCOUNT DETAILS ARE AVAILABLE ON UAN PORTAL AND UAN HAS BEEN ACTIVATED)

कार्य सं. - 19 (प्रविश्य निधि अंतिम निपटान) / 10सी (पेंशन प्रत्याहरण) / 31 (प्रविश्य निधि वार्षिक प्रत्याहरण)
(FORM NO. - 19 (PF FINAL SETTLEMENT) / 10C (PENSION WITHDRAWAL BENEFITS) / 31 (PF PART WITHDRAWAL))

[illegible]

प्रमाणित करता है कि विवरण मेरी जानकारी में अत्युत्तर सही है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने भू. ए. एन. पौर्टल में सौंपित डाटा चेखा है और सभी डाटा प्रपत्र संख्या 11 (नया) सजित बैंक फाला विवरण और अधार संख्या, सही पाया है। कुपया भू. ए. एन. पौर्टल में दिए गए बैंक खाते में राशि कर भुगतान करें। एक निम्नलिखित (जिसमें सदस्य का नाम, बैंक खाता संख्या और आईडीएफएल मोड दिया गया है) संलग्न है।

Confirmed that the particulars are true to the best of my knowledge, I certify that I have gone through the data seeded in UAN Portal and found all data, including Form No. 11 (New), bank account details and Aadhar number, to be correct. Please make the payment in the bank account mentioned in the UAN Portal. A cancelled cheque (containing member's name, bank account number and IFS Code) is attached herewith.

एडि एमिटी वर उपरोक्त उपबन्धन बापाम (6) में दिए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए होना है तो मैं सातों राशि को व्याज सहित वापस करने के लिए उत्तरदायी हूँ।
In case the amount is used for any purpose other than stated in column (6) above, I am liable to return the entire amount with penal interest.

सदस्य के हस्ताक्षर
Member's Signature

Leave Blank

संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार) भरने हेतु अनुदेश
INSTRUCTION FOR FILLING THE COMPOSITE CLAIM FORM (AADHAR)

(संयुक्त दावा प्रपत्र ऐसे मामलों में लागू होगा जहाँ सदस्य प्रपत्र-11(नया) में विवरण पूर्ण करता है, आधार नंबर तथा बैंक खाते का विवरण यू.ए.एन. पोर्टल पर उपलब्ध है तथा ए.ए.एन. सक्रिय किया गया है। ऐसे सदस्य नियोक्ता के सत्यापन के बिना सीधे संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में काम कर सकते हैं।)

(The Composite Claim Form (Aadhar) is applicable in cases where a member's complete details in Form-11 (New), Aadhar number and bank account details are available on the UAN Portal and UAN has been activated. Such members can submit this form directly to the concerned EPFO office, without attestation of claim form by the employers.)

1. निम्नांकित हेतु आवेदन किया जा सकता है:- The application can be made for :
 - i) भविष्य निधि के अंतिम निपटान/ Final P.F. Settlement
 - ii) पेंशन प्रत्याहरण लाभ (केवल 10 वर्ष से कम का सेवाकाल होने पर)
Pension Withdrawal Benefits (only if the service is less than 10 years)
 - iii) भविष्य निधि आंशिक प्रत्याहरण / PF Part Withdrawal,
तदनुसार बॉक्स में निशान लगाएँ/ Tick the boxes accordingly.
2. नाम: नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें/ Name : Name in CAPITAL LETTERS
3. यू.ए.एन. : 11 अंकों की यूनिवर्सल खाता संख्या का उल्लेख करें / UAN: Please mention the 11 digit Universal Account Number.
4. कृपया बारह अंकों की आधार संख्या का उल्लेख करें/Kindly mention 12 digits Aadhar Number
5. स्थापना में कार्य ग्रहण की तिथि: दिन/माह/वर्ष के फॉर्मेट में / Date of joining the establishment: In DD/MM/YYYY format
6. भविष्य निधि आंशिक प्रत्याहरण का उद्देश्य और आवश्यक राशि/ Purpose of PF Part Withdrawal and Amount required:
(इनमें से कोई एक कारण होना चाहिए) / The purpose may be one of the following:
 - i) आवासीय ऋण /भूमि /घर /फ्लैट खरीदने हेतु/ वर्तमान घर में निर्माण/अतिरिक्त फेर बदल/ आवासीय ऋण को चुकाने के लिए: कोई दस्तावेज अपेक्षित नहीं है। किसी दस्तावेज (नया घोषणा पत्र/ उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि) की आवश्यकता नहीं है। Housing Loan/purchase of site/house/flat or for construction/Addition alteration in existing house/Repayment of Housing loan: No document is required. No document (New Declaration Form/Utilization Certificate etc.) is required.

यदि अग्रिम साइट/मकान/फ्लैट की खरीद या एजेंसी के माध्यम से निर्माण या आवासीय ऋण की अदायगी के लिए है तो जिसके पक्ष में अग्र किया जाना है, उसका नाम दर्शाए।
In case the advance is for purchase of site/house/flat or construction through Agency or repayment of Housing Loan then indicate the name in whose favour the payment has to be made.
 - ii) फैक्ट्री की तालबंदी या बंद होना/ किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है / Lockout or closure of factory: No document is required .
 - iii) सदस्य/परिवार की बीमारी : i) डॉक्टर का प्रमाण पत्र और ii) नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र कि सदस्य के पास कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा उपलब्ध नहीं है /Illness of member/family: i) Certificate of doctor and ii) Certificate by employer that ESIC facility is not available to the member.
 - iv) स्वयं/बेटा/बेटी/भाई/बहन की शादी: किसी दस्तावेज/शादी कार्ड की आवश्यकता नहीं है / Marriage of self/son/daughter/brother/sister: No document/Marriage Card is required.
 - v) बच्चों की मैट्रिक के बाद की शिक्षा: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है / Post Matriculation education of children: No document is required.
 - vi) प्राकृतिक आपदा के असाधारण मामले: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है / Natural calamity of exceptional cases: No document is required.
 - vii) स्थापना में बिजली की कटौती :किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है / Cut in electricity in establishment: No document is required.
 - viii) शारीरिक रूप से विकलांग द्वारा उपकरण की खरीद: चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता है/ Purchase of equipment by physically handicapped: Medical certificate is required.
 - ix) सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व कुल भविष्य निधि बकाया का 90% तक निकाल सकते हैं। किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है /One year before retirement: 90% of total PF balance can be withdrawn. No document is required.
 - x) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश: कुल भविष्य निधि राशि का 90 %तक एन.आई.सी. में अंतरित कर सकते हैं।किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है / Investment in Varistha Pension Bima Yojana: 90% of total PF balance can be transferred to LIC. No document is required.
7. नौकरी छोड़ने की तिथि: दिन/माह/वर्ष के फॉर्मेट में / Date of leaving service: In DD/MM/YYYY format
8. (क) स्थायी खाता संख्या (पैन): पांच वर्ष से कम का सेवाकाल होने पर / (a) Permanent Account Number [PAN]: In case of service less than 5 years.
फॉर्म 15जी/15एच की दो प्रतियां संलग्न करें, यदि लागू हो / Please submit two copies of Form 15G/15H, if applicable.
[यदि भ.नि. से आंशिक प्रत्याहरण के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पैन की आवश्यकता नहीं है] / (PAN not required if applying for PF Part Withdrawal)
(ख) नौकरी छोड़ने का कारण: केवल भ.नि. अंतिम निपटान के मामले में : इनमें से कोई एक कारण होना चाहिए / (b) Reason for leaving service : Only in case of PF Final Settlement. The reason may be:

I. समापन के कारण/ Termination on account of

- a) सदस्य की बीमारी/ Ill health of member
- b) नियोजता के व्यापार में कमी/बंद होना /Contraction /Discontinuation of employer's business or
- c) सदस्य के नियंत्रण से बाहर अन्य कारण/ Other cause beyond the control of the member
- d) व्यक्तिगत कारण / Personal Reasons

II. विवाह (महिला सदस्य के लिए) / Marriage (for female member)

III. विदेश में स्थायी रूप से बसने के कारण/ Permanent Settlement Abroad

- आयकर (टीडीएस) काटा जाएगा यदि सेवा 5 वर्ष (60 माह) से कम है। आयकर (टीडीएस) नहीं काटा जाएगा यदि कुल शेष रु. 50,000 से कम है। यद्यपि ऐसे मामलों में टीडीएस 10% की दर से काटा जाएगा यदि सदस्य पैन प्रस्तुत करता है। पैन प्रस्तुत नहीं किए जाने के मामले में 34.608% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।

Income Tax (TDS) is deducted if the service is less than 5 years (60 months). No Income Tax (TDS) is deducted in case the total balance is less than Rs. 50,000/-. However, TDS is deducted @10% if the member submits PAN in such cases. In case PAN is not submitted, then TDS @34.608% is deducted.

- वर्तमान स्थापना के साथ-साथ पिछली स्थापना की कुल सेवा की गणना की जाएगी, अतः सभी भविष्य निधि खातों को एक साथ मिलाने का सुझाव दिया जाता है।

The total service in the present establishment as well as previous establishment is counted and, therefore, it is advisable to merge all PF accounts.

9. कृपया सदस्य के पते का उल्लेख करें/ Kindly mention the address of the member.

10. सदस्य द्वारा राजस्व स्टाम्प (रुपये 1/-) लगाने की आवश्यकता नहीं है / No Revenue stamp (Rs. 1/-) is required to be affixed by the member.